

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार
कृषि विज्ञान केन्द्र पानीपत

विषय:-स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए पाँच दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा, पानीपत के द्वारा "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के किसानों की आजीविका उत्थान हेतु " कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए पाँच दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कुल 7 व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र०स०	विवरण	कार्यक्रम की संख्या	स्थान	कुल प्रति भागी
1	कटिंग व टेलरिंग	2	कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा	60
2	बेकरी	2	-सम-	60
3	फल व सब्जी परिरक्षण	1	-सम-	30
4	दूध व दूध से बने उत्पाद	1	-सम-	30
5	नर्सरी उत्पादन	1	-सम-	30
	कुल	7		210

इच्छुक व्यक्ति कृषि विज्ञान केंद्र ऊझा से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्र सिवाह-छाजपुर रोड़ पर नए बस स्टैंड पानीपत से 5 किलो मीटर पर स्थित हैं।

प्रतिभागियों के चयन के लिए मानदंड :-

- ✓ ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद एवं बेरोजगार युवक एवं युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी है।
- ✓ स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ✓ प्रार्थी जिले पानीपत का स्थाई निवासी होना चाहिए।

KVK/PPJ/2023/454
31/07/2023

- ✓ **शैक्षणिक योग्यता:**—कम से कम पाँचवी पास है। विशेष परिस्थितियों में मानदंडों में छूट दी जा सकती है।
- ✓ **आयु सीमा:**—प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18—50 वर्ष है तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक ज्ञान होना चाहिए है।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग/विधवा/तलाकशुद्धा व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
- ✓ प्रशिक्षण में उन गाँवों के प्रार्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिन गाँवों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है।
- ✓ एक ही परिवार से या पहले प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति दुबारा प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज

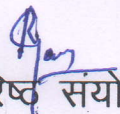
- ✓ तहसीलदार/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
- ✓ आधार कार्ड /वोटर कार्ड की प्रति।
- ✓ शैक्षणिक प्रमाण पत्र यदि कोई है की प्रति।
- ✓ दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- ✓ सक्रिय चालू बैंक खाते की प्रति।
- ✓ फैमली परिवार पहचान पत्र।

आवेदन करने की अवधि

प्रार्थी 1 सितम्बर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्राप्त करने व अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा में सम्पर्क करें या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की आधिकारिक वेबसाइट <https://hau.ac.in> से आवेदन पत्र व शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

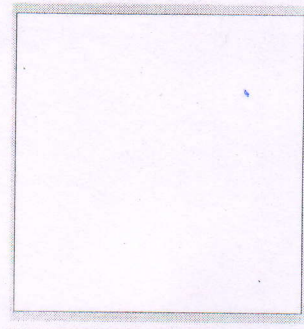
आवेदन पत्र का प्रारूप:

आवेदन पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र सलग्न है। इच्छुक व्यक्ति पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र व शपथ पत्र अपने गाँव के सरपंच के हस्ताक्षर के साथ कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा, पानीपत में जमा करवायें।


वरिष्ठ संयोजक
 कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा, पानीपत
 Sr. Coordinator
 Krishi Vigyan Kendra
 Ujha, Panipat-132103

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत
अनुसूचित जाति - अनुसूचित जन जाति के लिए किसानों की आजीविका उत्थान हेतु प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण का नाम :
1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. गांव व जिला :
4. मोबाइल नम्बर :
5. जाति व उम्र :
6. शिक्षा :
7. आधार नम्बर :



प्रमाणित किया जाता है:-

1. कि मैं अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता/ रखती हूँ और मैंने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत द्वारा "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के किसानों की आजीविका उत्थान हेतु " कार्यक्रम के तहत आयोजित किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है और न ही इसके तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।
2. कि यह शपथ पत्र मैं अपनी मर्जी से दे रहा/ रही हूँ तथा सारी जानकारी सत्य है।
3. कि अगर मैं दोषी पाया जाता/ जाती हूँ तो कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
4. कि मैं प्रशिक्षण उपरान्त मिलने वाले सामान को केवल स्वरोजगार के लिए प्रयोग करुंगा/करुगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मैं तसदीक करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा दी जानकारी सही है।

सरपंच

नोट:-आधार कार्ड व "अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें।

बैंक पास बुक की फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न करें।

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

गांव.....का स्थाई निवासी हूँ। मैं तसदीक करता हूँ :-

1. कि मैं अनुसूचित जाति से सम्बंध रखता/ रखती हूँ।
2. कि मैंने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत द्वारा "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के किसानों की आजिविका उत्थान हेतु " कार्यक्रम के तहत आयोजित किसी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है और न ही इसके तहत कोई अन्य लाभ प्राप्त किया है।
3. कि यह शपथ पत्र मैं अपनी मर्जी से दे रहा/ रही हूँ तथा सारी जानकारी सत्य है।
4. कि अगर मैं दोषी पाया जाता/ जाती हूँ तो कृषि विज्ञान केन्द्र, पानीपत मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. कि मैं प्रशिक्षण उपरान्त मिलने वाले सामान को केवल स्वरोजगार के लिए प्रयोग करूंगा/ करूंगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मैं तसदीक करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा दी जानकारी सही है।

सरपंच